रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 570] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 21, 1984/कार्तिक 30, 1906
No. 570] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 21, 1984/KARTIKA 30, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 21 नवम्बर, 1984

आदेश

का०आ० 870(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश का०आ० सं० 363 (अ) तारीख 22 मई, 1976 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) उस आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के निकाय को मैसर्स ब्रिटानिया इंजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता (टीटागढ़ एकक) नामक औद्योगिक उपक्रम का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबन्ध 22 मई, 1976 से पांच वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने अपने आदेश सं० का०आ० 201(अ) तारीख 11 अप्रैल, 1979 द्वारा सचिव, बन्द और रुग्ण उद्योग विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार को, जिसे अब सचिव औद्योगिक पुनर्निर्माण विभाग पश्चिमी बंगाल सरकार कहा जाता है (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) मैसर्स वैस्टिंगहाउस सैक्सीबी फार्मर लिमिटेड, कलकत्ता से उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध 22 मई, 1976 से पांच वर्ष की शेष अवधि तक ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था;

और, केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 377(अ), तारीख 21 मई, 1981, का०आ० 372(अ), तारीख 21 मई, 1983 और का०आ० सं० 396(अ), तारीख 21 मई, 1984 द्वारा उक्त प्राधिकृत व्यक्ति को 21 नवम्बर, 1984 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, और अवधि के लिए उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध करते रहने के लिए प्राधिकृत किया था;

और केन्द्रीय सरकार ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम का प्रबन्ध प्राधिकृत व्यक्ति के पास छह मास की और अवधि के लिए बना रहे, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन इस आशय की अनुज्ञा

के लिए निवेदन करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय को आवेदन किया था, और उक्त न्यायालय ने तारीख 19 नवम्बर, 1984 के अपने आदेश द्वारा केवल दो मास की अवधि के लिए अनुज्ञा दी है,

अतः, अब केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18क की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 22 नवम्बर, 1984 से दो मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[फा०सं० 4(14)/83-सी०यू०एस०]
ए०पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 21st November, 1984

S.O. 870(E).—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 363(E), dated the 22nd May, 1976 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government authorised the body of persons specified in that order to take over the management of the Industrial Undertaking known as Messrs Britania Engineering Company, Calcutta (Titagarh Unit), (hereinafter referred to as the said Industrial Undertaking) for a period of five years from the 22nd May, 1976;

And, whereas, the Central Government vide its Order No. S.O. 201(E), dated the 11th April, 1979, authorised the Secretary, Closed and Sick Industries Department, Government of West Bengal now called Secretary, Industrial Reconstruction Department, Government of West Bengal (hereinafter referred to as the said authorised person), to take over the management of the said Industrial Undertaking from Messrs Westinghouse Saxby Farmer Limited, Calcutta, for the remaining period of five years from the 22nd May, 1976;

And, whereas, by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 377(E), dated the 21st May, 1981, S.O. 372(E), dated the 21st May, 1983 and S.O. 396(E), dated 21st May, 1984, the Central Government authorised the said authorised person to continue to manage the said Industrial Undertaking for a further period upto and inclusive of 21st November, 1984;

And, whereas, the Central Government being of the opinion that it is expedient in the public interest that the said authorised person should continue to manage the said Industrial Undertaking for a further period of six months, made an application to the Calcutta High Court praying for the permission to that effect, under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), and that the said High Court has, by its Order dated the 19th November, 1984, granted the permission only for a period of two months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of two months on and from the 22nd November, 1984.

[F. No. 4(14)/83-CUS]
A. P. SARWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984